भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2176

दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

सस्ती वस्तुओं के आयात का प्रतिकूल प्रभाव

2176. श्री एन॰ बालगंगाः क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सस्ती वस्तुओं के आयात से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसी वस्तुओं के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने और पाटन–रोधी उपाय करने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा0 सिंधिया)

(क) और (ख) : घरेलू उद्योग हेतु दूसरे देशों के वस्तु निर्यातकों द्वारा अपनाई जाने वाली अनुचित व्यापार प्रथाओं से निपटने के लिए व्यापार रक्षोपाय उपलब्ध हैं । यदि देश में किसी उत्पाद का आयात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया जाता है और उससे घरेलू उद्योग को क्षति होती है, तो घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण हेतु वाणिज्य विभाग में पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) के पास आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।

(ग) और (घ) : रक्षोपाय स्वरूप मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने के लिए अगस्त, 2010 में विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 में संशोधन किया जा चुका है । इस प्रयोजनार्थ एक नई धारा 9(क) जोड़ी गई है । पाटनरोधी उपायों को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क एवं 9ख के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

.....